क्रम-संख्या—777

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

17

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 अक्तूबर, 1988

आश्विन 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1971/सत्रह—वि-1—1(क)-18-1988

लखनऊ, 15 अक्तूबर, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 7 सितम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1952 की धारा 53 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द "आठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

वैधीकरण

3—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 53 के अधीन कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रक नियुक्त न किया जाय, 8 अगस्त, 1985 के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने वाले नियंत्रक को, उक्त दिनांक से उपर्युक्त धारा के अधीन नियंत्रक नियुक्त किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा 8 अगस्त, 1985 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के बीच नियंत्रक के रूप में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य और प्रवर्तनीय होगी ।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1988

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव ।

No. 1971(2)/XVII-V-1—1(KA)18-88

Dated Lucknow, October 15, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh legislature and assented to by the Governor on October 15, 1988.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1988

(U. P. Act No. 22 of 1988)

[As passed by the U. P. Legislative]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 7, 1988.

Amendment of section 53 of U. P. Act No. 8 of 1952

2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, hereinafter, referred to as the principal Act in sub-section (1) *for* the words "eight years" the words "twelve years" shall be *substituted*.

Validation

3. Notwithstanding anything contained in the principal Act, until another person is appointed as Controller under section 53 of the principal Act, as amended by this Act the Controller exercising and performing the powers and duties of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Board immediately before August 8, 1985 shall, with effect from the said date, be deemed to have been appointed as Controller under the aforesaid section and anything done or any action taken by him as Controller at any time between August 8, 1985 and the date of commencement of this Act shall be valid and operative.

4. (1) The Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 120 सा0 विधा0--(1787)--17-10-88--1988--850 (मैक0)।